आवेदन दिया था, जो अभी तक लंबित है। इसके परिणामस्वरूप श्रीमती शकुंतला देवी कठिनाइयों के दौर से गुज़र रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार के प्रकरणों की ओर विशेष ध्यान दे, ताकि उनका शीघ्र निराकरण हो सके।

Demands to give priority to the issues pertaining to SCs and STs

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. In the recent past, there is no focus or priority for the issues concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in particular. There are two constitutional Commissions for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but their reports are not discussed in the Parliament. The first UPA Government had assured about affirmative actions, reservations in private sector and the Reservation Act too. No progress, whatsoever has been made in these matters. The hon. Prime Minister in his speech to the National Development Council during June 2005, wanted to remove the gap between the Scheduled Castes and other sections within 10 years. For this, the Planning Commission has also issued many guidelines for S.C.S.P. and T.S.P. However, there is no progress, and there are no reports on the matter.

Hon. Minister for Social Justice and Empowerment should enlighten the House on all these issues. Thank you, Sir.

Demand for solving problems being faced by workers in getting payment of wages under NREGA

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन एवं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाला चाहती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को वर्ष 100 दिवस का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है तथा मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते से संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा जमा किया जाना है।

भुगतान की यह व्यवस्था अच्छी है, किन्तु इसका दूसरा पक्ष यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों बैंकर्स द्वारा मजदूर का खाता खोलने में हीला-हवाला किया जाता है। जिसके कारण मजदूरों के भुगतान में छह माह से लेकर एक वर्ष तक का विलंब हो रहा है। मजदूरों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। एक ओर 100 दिवस का कार्य देना है, वहीं दूसरी ओर 200 से 350 दिन तक मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसका एक मात्र कारण बैंकों द्वारा खाता नहीं खोलना है।

इस संबंध में जब कलेक्टर को सूचित किया जाता है, तो वे भी भुगतान कराने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि कलेक्टर का बैंकर्स पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि बैंकर्स पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर को अधिकार दिया जाए, तो इस योजना के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कराने में सुविधा होगी।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को मजदूरी दिलाने, भूखों मरने से बचाने तथा योजना के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कलेक्टर को बैंकर्स पर नियंत्रण के लिए प्रभावी बनाया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Miss Uikey. Shri Prabhat Jha. He is not here. Dr. T. Subbarami Reddy. He is also not here. Miss Mabel Rebello. She is not here. Now, Shri Krishan Lal Balmiki.